<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>17/6/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय एवं अन्य के विरुद्ध की जा रही जाँच से संबंधित मामले में अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध के पीड़ित दो संस्थानों, अर्थात् मेसर्स ईको डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 3.05 करोड़ रुपये तथा मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 23.63 लाख रुपये के प्रत्याहरण (की वापसी) का आदेश पारित किया है।

ईडी ने बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय, स्वरूप घोष एवं अन्य के विरुद्ध बिधाननगर, कोलकाता स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग तथा जालसाजी से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जाँच प्रारम्भ की। आरोप है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग में अपने प्रभाव का मिथ्या प्रस्तुतीकरण करते हुए तथा "एसीडब्ल्यूबीएचएफडब्ल्यू सर्विसेज" के नाम से संचालित बैंक खाते के माध्यम से निविदा-संबंधी बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के नाम पर धन एकत्र कर, मेसर्स प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 26.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। इसके पश्चात एकत्रित उक्त धनराशि को विभिन्न अन्य संस्थाओं तथा अभियुक्त व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित कर गबन कर लिया गया। जाँच के दौरान यह भी उजागर हुआ कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध इसी प्रकार की धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के संबंध में आनंदपुर पुलिस स्टेशन में एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और इसलिए उक्त प्राथमिकी को भी संज्ञान में लेते हुए जाँच में शामिल किया गया।

ईडी की जाँच में यह उजागर हुआ कि अभियुक्त व्यक्तियों ने विभिन्न बैंक खातों एवं संस्थाओं के माध्यम से अपराध से अर्जित आय (पीओसी) का सृजन किया तथा उसका परतन (लेयरिंग) किया, और उक्त धनराशि का उपयोग अचल संपत्तियों के क्रय तथा अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों में निवेश के लिए किया गया। जाँच के दौरान तलाशी की कार्यवाही की गई तथा अभियुक्त व्यक्तियों से संबद्ध विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि के उपयोग पर रोक (फ्रीज़) लगा दी गई। अपराध से अर्जित आय से अर्जित अचल संपत्तियों को ईडी द्वारा कुर्क किया गया।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एम.एल. वाद संख्या 03/2024 के रूप में अभियोजन शिकायत दायर की। मुख्य अभियुक्त बुद्धादित्य चट्टोपाध्याय के विरुद्ध दिनांक 22.09.2025 को आरोप निर्धारित किए गए।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को वास्तविक/वैध दावेदारों तथा धन शोधन के अपराध के पीड़ितों को प्रत्यावर्तित/वापस किया जाना है, ईडी ने इस मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों एवं वास्तविक/वैध दावेदारों को कुर्क/जब्त/फ्रीज़ की गई संपत्तियों की रिहाई के संबंध में माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की। ईडी द्वारा किए गए उपर्युक्त निवेदन के आधार पर, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने अपने दिनांक 19.01.2026 एवं 10.06.2026 के आदेशों के माध्यम से उक्त संपत्तियों का प्रत्याहरण वास्तविक/वैध दावेदारों के पक्ष में की।